

18.11.24

पत्रावली पेश हुई। न्यायालय समय मे अधिवक्ता वादी व वादीगण के नाम से अलग-अलग समय पर तीन चार आवाज दी गई। कोई उपस्थित नहीं। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अधिवक्ता वादी व वादीगण अपने वाद को लेकर गंभीर नहीं है।

लिटाजा वादी का वाद इसी स्तर पर 'अदम पैरवी' व 'अदम-हाजिरी' में इसी स्तर पर स्वारिज की जाती है। पत्रावली फेसल शुमार होकर दारखिल दफतर हो व नम्बर से कम हो।

~~सहायक कलक्टर~~
(SDO) गान्धी

18/11/24
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) साडमेर

